

प्रेस नोट दि०-29.06.2025

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू पु लस द्वारा 03 वारण्टी अ भयुक्त गरफ्तार-

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलापों में सं लप्त अपरा धर्यों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना अंतू के उ०नि० गौतम वनर्जी हमराह हे०का० गोरेलाल पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/सलाश वांछित वारण्टी अ भयुक्त, दबिश के दौरान मु०नं० 579/2019 अ०सं०180/2018 धारा 147/148/332/394/504/506/353 / भाद व 3(1) sc/st Act थाना अन्तू से संबं धत 03 वारण्टी अ भयुक्तों, 1. त्रिभुवन वर्मा पुत्र रतिपाल वर्मा 2. वजय सेन वर्मा पुत्र स्व० रामनारायण वर्मा 3. राजू वर्मा पुत्र राम लखन वर्मा निवासी गण ग्राम दांदूपुर दौलत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गरफ्तार कया गया ।

गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण-

1. त्रिभुवन वर्मा पुत्र रतिपाल वर्मा निवासी ग्राम दांदूपुर दौलत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
2. वजय सेन वर्मा पुत्र स्व० रामनारायण वर्मा निवासी ग्राम दांदूपुर दौलत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
3. राजू वर्मा पुत्र राम लखन वर्मा निवासी ग्राम दांदूपुर दौलत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पु लस टीम-

उ०नि० गौतम वनर्जी हमराह हे०का० गोरेलाल पाण्डेय थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पु लस की त्वरित कार्यवाही — हत्या का प्रयास करने वाले 03 अ भयुक्त गरफ्तार, घटना में प्रयुक्त फावड़ा व डण्डे बरामद

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धर्यों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना आसपुर देवसरा पु लस टीम द्वारा अ भयुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत वझला रजबहा नहर पु लया के पास से गरफ्तार कया गया।

घटना का संक्षिप्त का ववरण-

दिनांक 28.06.2025 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वझला में आपसी ववाद के चलते आरोपीगणों द्वारा पुरानी रंजिशवश वादी व वादी के भाई को लाठी-डण्डा व फावड़े से जानलेवा हमला करते हुए, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/ 25 धारा 115(2), 351(3), 352, 109(1), 3(5) बीएनएस बनाम 03 नामजद पंजीकृत कया गया था।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के अंतर्गत अपर पु लस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्रा धकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह हे0का0 जितेन्द्र कुशवाहा, का० अरबिन्द यादव, का0 लाल बहादुर, का० वीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 188 / 25 धारा 115(2), 351(3), 352, 109(1), 3(5) बीएनएस में वांछित 03 अ भयुक्तों, 1. वीरेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू पुत्र रामलखन यादव 2. शुभम यादव 3. सत्यम यादव पुत्रगण वीरेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू समस्त निवासीगण वझला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ को क्षेत्रान्तर्गत वझला रजबहा नहर पु लया के पास से गरफ्तार कया गया। गरफ्तार अ भयुक्तों की निशानदेही पर पु लस टीम द्वारा ग्राम वझला पंचायत भवन के समीप झा ड़्यों से घटना में प्रयुक्त लोहे का फावड़ा तथा दो बांस के डण्डे क्रमशः वीरेन्द्र एवं शुभम यादव द्वारा बरामद कराए गए।

गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण-

1. वीरेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू पुत्र रामलखन यादव निवासी ग्राम वझला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।
2. शुभम यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम वझला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।
3. सत्यम यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम वझला थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।

पूछताछ का ववरण-

गरफ्तार अ भयुक्त सत्यम यादव द्वारा पूछताछ में बताया गया क दिनांक-28.06.2025 को ग्राम बिझला की घटना में प्रयुक्त फावड़ा उसने घटना के उपरांत ग्राम वझला स्थित पंचायत भवन के पास झा ड़्यों में फेंक दिया था। सह-अ भयुक्तगण वीरेन्द्र यादव एवं शुभम यादव ने भी स्वीकार कया क मारपीट में प्रयुक्त बांस के डण्डे उक्त स्थल पर झा ड़्यों में फेंक दिए थे। अ भयुक्तगण की निशानदेही पर पु लस टीम द्वारा ग्राम वझला पंचायत भवन के समीप झा ड़्यों से घटना में प्रयुक्त लोहे का फावड़ा तथा दो बांस के डण्डे क्रमशः वीरेन्द्र एवं शुभम यादव द्वारा बरामद कराए गए। ।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद फावड़ा व 02 अदद बांस के डण्डे बरामद ।

गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-

30नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह हे0का0 जितेन्द्र कुशवाहा, का0 अरबिन्द यादव, का0 लाल बहादुर, का0 वीरेन्द्र यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज पु लस द्वारा 01 वारण्टी अ भयुक्त गरफ्तार-

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलापों में सं लप्त अपरा धर्यों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना नवाबगंज के 30नि0 राजनारायण संह मय हमराह का0 नीरज पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी अ भयुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 250/08 अ0सं0 183/07 धारा 60 आबकारी अ धनियम थाना नवाबगंज से संबं धत वारण्टी अ भयुक्त बच्चालाल सरोज पुत्र सुन्दरलाल निवासी नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गरफ्तार कया गया ।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

1. बच्चालाल सरोज पुत्र सुन्दरलाल निवासी नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पु लस टीम-

30नि0 राजनारायण संह मय हमराह का0 नीरज पटेल थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पु लस-वन वभाग की संयुक्त कार्यवाही में 22 संरक्षित कछुओं के साथ 02 तस्कर गरफ्तार – थाना लालगंज पु लस की बड़ी सफलता

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई – 22 संरक्षित कछुओं के साथ दो अ भयुक्त गरफ्तार

दिनांक 28.06.2025 को थाना लालगंज पु लस द्वारा वन वभाग के साथ संयुक्त रात्रि गश्त व चे कंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत सलेम भदारी महंगुआ तिराहे के पास से 02 अ भयुक्तों को गरफ्तार कया गया।

बरामद कछुए संरक्षित प्रजाति के वन्य जीव हैं, जो व ध अनुसार राज्य की संप त माने जाते हैं । बरामद संरक्षित कछुओं को व धसम्मत संरक्षण हेतु वन वभाग की टीम के सुपुर्द कया गया ।

प्रतापगढ़ ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अपरा धर्यों की गरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अ भयान के अंतर्गत थाना लालगंज पु लस द्वारा रात्रि गश्त, देखभाल क्षेत्र, वांछित वारंटी अ भयुक्तों की तलाश एवं वन वभाग (वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़ एवं सामाजिक वानिकी वन प्रभाग) के साथ संयुक्त गश्त के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक- 28.06.2025 को प्राप्त मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए संरक्षित प्रजाति के कुल 22 रा श कछुए के साथ 02 अ भयुक्तों को गरफ्तार कया ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पु लस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्रा धकारी लालगंज श्री आशुतोष मश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में 30नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० संतोष कुमार यादव, कां० राहुल सोलंकी व वन वभाग के कर्मचारी त्रिभुवन नाथ तिवारी (वन दरोगा), लालगंज रेंज, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़, रमेश कुमार मश्र (वन दरोगा) लालगंज रेंज, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़ द्वारा रात्रि गश्त, देखभाल क्षेत्र चे कंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 अ भयुक्तों, 1- आलोक भारती पुत्र राम संह भारती नि०ग्राम भगवतदत्त स्कूल के पीछे लालगंज अझारा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र-20 वर्ष, 2- क पल भारती पुत्र कैलाश भारती नि०ग्राम नागेश दत्त त्रिपाठी स्कूल के पीछे लालगंज अझारा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को 22 रा श संरक्षित वन्य जीव कछुआ व 01 अदद मोटसाइ कल के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत सलेम भदारी महंगुआ तिराहा के पास से गरफ्तार कया गया है ।

अ भयुक्तों के कब्जे से 22 रा श संरक्षित वन्य जीव कछुआ बरामद कया गया है । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 9, 39, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाम 02 नामजद का अ भयोग पंजीकृत कया गया है । बरामद 01 अदद मोटसाइ कल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कया गया है ।

पूछताछ का ववरण-

पूछताछ पर अ भयुक्तों ने बताया क हम लोग कछुओं को पकड़ते हैं और चोरी छिपे इन्हें बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा पैसा मल जाता है। आज भी हम इन कछुओं को बेचने के लए जा रहे थे क आप लोगों ने पकड़ लिया ।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

1- आलोक भारती पुत्र राम संह भारती नि०ग्राम भगवतदत्त स्कूल के पीछे लालगंज अझारा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र-20 वर्ष ।

2- क पल भारती पुत्र कैलाश भारती नि०ग्राम नागेश दत्त त्रिपाठी स्कूल के पीछे लालगंज अझारा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष ।

गरफ्तार करने वाली टीम-

पु लस टीम- 30नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० संतोष कुमार यादव, कां० राहुल सोलंकी थाना लालगंज प्रतापगढ़ ।

अन्य टीम- वन वभाग के कर्मचारी त्रिभुवन नाथ तिवारी (वन दरोगा), लालगंज रेंज, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़, रमेश कुमार मश्र (वन दरोगा) लालगंज रेंज, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी गरफ्तार – सतर्क पु लस टीम को मलेगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना कोतवाली नगर के 30नि0 बृजेश कुमार व थाना पट्टी बीट आरक्षी राजू यादव ने गैंगस्टर अ भयुक्त पर कसा शकंजा

30नि0 बृजेश कुमार, बीट आरक्षी राजू यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी प्रतापगढ़ द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लये थाना कोतवाली नगर के 30नि0 बृजेश कुमार व थाना पट्टी बीट आरक्षी राजू यादव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना कोतवाली नगर पु लस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत महली नहर पु लया के पास से अन्तर्जनपदीय 01 गैंगस्टर अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया ।

गरफ्तार गैंगस्टर अ भयुक्त पर जनपद जौनपुर व प्रतापगढ़ में चोरी, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराध है दर्ज

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलप्त अपराध्यों की गरफ्तारी हेतु बीट पुल संग प्रणाली को मजबूत कया जा रहा है-

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर के 30नि0 बृजेश कुमार व थाना पट्टी बीट आरक्षी राजू यादव के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलस द्वारा मु0अ0सं0- 190/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ में वांछित 01 दयाराम पुत्र श्याम लाल निवासी सलहापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 29.06.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत महुली नहर पुलया के पास से गरफ्तार कया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01. दयाराम पुत्र श्याम लाल निवासी सलहापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

अ भयुक्त दयाराम पुत्र श्याम लाल निवासी सलहापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 149/21 धारा 379/411 भाद व थाना मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर ।

2. मु0अ0सं0 155/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 156/21 धारा 411/413 भाद व थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 797/21 धारा 379/411 भाद व थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

5. मु0अ0सं0 390/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

6. मु0अ0सं0 295/23 धारा 379/411 भाद व थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

7. मु0अ0सं0 296/23 धारा 379/411 भाद व थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

8. मु0अ0सं0 299/23 धारा 379/411/413/420/467/468/471 भाद व थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

9. मु0अ0सं0 482/23 धारा 379/411 भाद व थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

10. मु0अ0सं0 190/25 धारा 2/3 30प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ ।

एसटीएफ प्रयागराज व थाना मान्धाता पु लस की बड़ी कामयाबी — ₹50,000/- के इनामी अन्तर्जनपदीय अपराधी कुलदीप गरफ्तार-

➡अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त पर ₹50,000/- का पुरस्कार पु लस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा कया गया था घो षत

➡इलेक्ट्रॉनिक सर्वलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर 34 इन्फो सीटी B-19 के सामने थाना सदर गुरुग्राम सेक्टर 38 गुरुग्राम हरियाणा से अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया ।

➡अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त पर जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ मे चोरी, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन कुल 06 अपराध दर्ज है

➡अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त द्वारा थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत वादिनी से दुष्कर्म कया गया, जिसमें अ भयुक्त लगातार वांछित चल रहा था ।

प्रतापगढ-

दिनांक 15.06.2021 को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत वादिनी के साथ कुलदीप पुत्र श्याम सुन्दर सरोज निवासी ग्राम कलानी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ द्वारा जबरन दुष्कर्म कया था । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 329/ 21 धारा 376 504 506 भादवी व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ बनाम 01 नामजद का अ भयोग पंजीकृत कया गया था ।

उक्त अ भयोग अ भयुक्त लगातार फरार चल रहा था । इसी क्रम में अ भयुक्त की गरफ्तारी हेतु पु लस अधीक्षक प्रतापगढ द्वारा अ भयुक्त के वरुद्ध दिनांक- 30.06.2022 को 25000/- रु0 का पुरस्कार घो षत कया गया था ।

इसी क्रम में पु लस महानिरीक्षक, प्रयागराज, परिक्षेत्र श्री अजय कुमार मश्र द्वारा जनपद प्रतापगढ के अपराध नियंत्रण को और अ धक प्रभावी बनाने हेतु कठोर कार्यवाही करते हुए थाना मान्धाता के अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त के वरुद्ध दिनांक- 26.06.2022 को 50000/- रु0 का पुरस्कार घो षत कया गया था ।

दिनांक 29.06.2025 को पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पु लस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल व क्षेत्रा धकारी रानीगंज श्री वनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अर वन्द कुमार संह मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 रणवेन्द्र, का0 अनी कुमार व एसटीएफ टीम प्रयागराज टीम- उ0नि0 रणेन्द्र कुमार संह, हे0का0 अ मत कुमार शर्मा, हे0का0 संतोष कुमार, हे0का0 कशन चन्द्र मय चालक का0 र वकान्त संह की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 329/ 21 धारा 376 504 506 भाद व व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ में वांछित चल रहा 50000/- का इना मया अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त कुलदीप पुत्र स्व0 श्याम सुंदर सरोज निवासी ग्राम कलानी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ वर्तमान पता सरस्वती एनक्लेव 5 ब्लॉक गुरुग्राम हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक सर्वलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर

सेक्टर 34 इन्फो सीटी B-19 के सामने थाना सदर गुरुग्राम सेक्टर 38 गुरुग्राम हरियाणा से गरफ्तार कया गया ।

* गरफ्तार अ भयुक्त का नाम:- *

1. अन्तर्जनपदीय कुलदीप पुत्र स्व0 श्याम सुंदर सरोज निवासी ग्राम कलानी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ वर्तमान पता सरस्वती एनक्लेव 5 ब्लॉक गुरुग्राम हरियाणा ।

अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त कुलदीप पुत्र स्व0 श्याम सुंदर सरोज निवासी ग्राम कलानी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ वर्तमान पता सरस्वती एनक्लेव 5 ब्लॉक गुरुग्राम हरियाणा का आपरा धक इतिहास-

1. मुकदमा अपराध संख्या 213/ 19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।

2. मुकदमा अपराध संख्या 214/19 धारा 411 /413 भाद व थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।

3. मुकदमा अपराध संख्या 485 / 18 धारा 457/ 380 भाद व थाना मऊआईमा प्रयागराज ।

4. मुकदमा अपराध संख्या 106/19 धारा 379/ 411 भाद व थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

5. मुकदमा अपराध संख्या 329/ 21 धारा 376 504 506 भादवी व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

6. मुकदमा अपराध संख्या 124/22 धारा 174ए भादवी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

गरफ्तारी पु लस टीम-

थाना मान्धाता पु लस- थाना प्रभारी अर वन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 रणवेन्द्र, का0 अनी कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ टीम प्रयागराज- उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 अ मत कुमार शर्मा, हे0का0 संतोष कुमार, हे0का0 कशन चन्द्र मय चालक का0 र वकान्त सिंह ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

गैर इरादतन हत्या का प्रयास, गर्भपात, मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के अ भयोग से संबं धत 1 अ भयुक्त गरफ्तार

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धर्यों के खलाफ कड़ा एक्शन जारी ।

थाना रानीगंज पु लस टीम द्वारा अ भयुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत सरयाभरतराय भीटा के पास से गरफ्तार कया गया ।

घटना का संक्षप्त का ववरण-

दिनांक 19.03.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज ग्राम ग्राम जगदीशपुर, मेढौली में वादी के ऊपर वपक्षीगणों द्वारा लाठी, डण्डा, लोहे की रॉड व कुल्हाड़ी से हमला कया गया । शोरगुल सुनकर वादी के परिजन बीच बचाव करने गये तो गाली गलौज, धमकी देते हुए उनके साथ भी वपक्षीगणों द्वारा मारपीट की गई । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/25 धारा 191

(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/110/89 भा0न्या0सं0 बनाम 06 नामजद व 02 अज्ञात का अ भयोग पंजीकृत कया गया ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के अंतर्गत अपर पु लस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्रा धकारी रानीगंज श्री वनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश चौर सया मय हमराह का0 वकाश बाबू, का0 दिलीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अ भयुक्त व ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 73/25 धारा 191

(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/110/89 भा0न्या0सं0 बीएनएस में वांछित 01 अ भयुक्त जुनैद पुत्र गुलसहीम उर्फ बुद्धन निवासीगण ग्राम जगदीशपुर, मेढौली, थाना- रानीगंज, जनपद प्रतापगढ को रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत सरयाभरतराय भीटा के पास से गरफ्तार कया गया ।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01.जुनैद पुत्र गुलसहीम उर्फ बुद्धन निवासीगण ग्राम जगदीशपुर, मेढौली, थाना- रानीगंज, जिला-प्रतापगढ

गरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 राकेश चौर सया मय हमराह का0 वकाश बाबू, का0 दिलीप कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।